प्रेस नोट

सौंपी ट्रेक्टर की चाबी

जिला सहकारी बैंक द्वारा कस्टम हायरिंग योजनांतर्गत स्वीकृत किया गया ऋण

विदिशा 28.03.2017

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा की शाखा शमशाबाद अंतर्गत ग्राम रतबा की कृषक श्रीमति पिंकी देवी रघुवंशी पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी को कस्टम हायरिंग योजनांतर्गत स्वीकृत ट्रेक्टर की चाबी आज बैंक के प्रधान कार्यालय में बैंक अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर शर्मा द्वारा उनके परिजनों को सौंपी गयी। बैंक के प्रबंधक लेखा श्री दिनेश शर्मा ने बताया कि, उक्त हितग्राही द्वारा कुल रूपये 24 लाख 98 हजार का ऋण आवेदन ट्रेक्टर, एवं कृषि सहायक यंत्रों के लिए शाखा शमशाबाद के माध्यम से प्रस्तुत हुआ। बैंक द्वारा 18 लाख 73 हजार का ऋण 07 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया है जिसमें से 40 प्रतिशत का अनुदान शासन द्वारा सीधे हितग्राही के ऋण खाते में जमा होगा।

बैंक अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मध्यप्रदेश शासन की अभिनव पहल कस्टम हायरिंग योजना के संचालन में निरंतर सहयोगी के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत किसानों का ऑनलाइन पंजीयन होता है तथा पंजीयन उपरांत चयनित किसानों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है जिसमें 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी हितग्राही को प्राप्त होती है।

इस अवसर पर श्री सुरेश दुबे, श्री संजीव तिवारी, श्री संतोष शर्मा, श्री रमेश साहू, श्री गोपीचंद मतानी, श्री रामकुमार शर्मा पर्यवेक्षक आदि लोग उपस्थित थे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
विदिशा

प्रति,

प्रतिनिधि/ब्यूरो चीफ

दैनिक ....

विदिशा